डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गोपीलाल पुत्र तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. पुरूषोत्तम पुत्र किशोरी
3. तुलसीराम पुत्रान भरोसी
4. अशोककुमार पुत्र भरोसी
5. नरेश कुमार पुत्र भरोसी
6. द्रोपदी पत्नि भरोसी
7. विष्णु पुत्र किशोरी
8. दिव्यांश पुत्र कृष्णकात पुत्र कजोडी जरिये चाचा प्रफुल्लित कान्त पुत्र कजोडी।
9. प्रफुल्लितकानत पुत्र कजोडी

समस्त जाति डाकोत (जोशी) निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती)

मु0न0 154/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ...जानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ...डकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दरूस्ती) स्वीकार योग्य होने से ग्राम ...त की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे जाति मीना के स्थान पर जाति डाकौत तथा घनश्याम पुत्र ...ोरी के स्थान पर गोपीलाल पुत्र किशोरी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ...भीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे,

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद ...ह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.2020 को जारी की गई।

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

	रूपया	पैसे	मुदायला		
...अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
...वजह सबूत			म्हनताना वकील		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...गवाहान			फीस कमीश्नर		
...कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
...इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...रिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

154/2019 तारीख रजू:– 28.12.2019

उनवान

1. गोपीलाल पुत्र तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. पुरूषोत्तम पुत्र किशोरी
3. तुलसीराम पुत्रान भरोसी
4. अशोककुमार पुत्र भरोसी
5. नरेश कुमार पुत्र भरोसी
6. द्रोपदी पत्नि भरोसी
7. विष्णु पुत्र किशोरी
8. दिव्यांश पुत्र कृष्णकात पुत्र कजोडी जरिये चाचा प्रफुल्लित कान्त पुत्र कजोडी।
9. प्रफुल्लितकानत पुत्र कजोडी

समस्त जाति डाकोत (जोशी) निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(वादी)

बनाम

. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरुस्ती)
उपस्थिति:– श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (वादी)
पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक:– 29.10.2020

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम ग्राम बैरोज स्थित आराजी ख0न0 188 0.14 है0 है जिसका साबिक नम्बर 1226 रकवा 11 बिस्वा से कायम किया गया है। उक्त मे वादीगण 1 ता 9 खातेदार काश्तकार है। जिनकी हिस्सेदारी वाद पत्र मे जमाबन्दी हाल मे है। वादी न0 8 व 9 हिस्सा बहिस्सा 1/4, वादी न0 1 बहिस्सा 1/6 वादी न0 2 बहिस्सा हिस्सा के वादी न0 3, 4, 5, 6 बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी ग की विरासत की आराजी है। जिसमे वादीगण के बुजुर्ग खातेदार रहे है।

वादीगण की जाति हाल रिकार्ड मे मीना दर्ज कर रखी है। जबकि वादीगण की जाति है। सेटिलमेन्ट आपरेशन के दौरान गलती से वादीगण की जाति को मीना कर दिया है। वास्तविक सही जाति डाकोत है। जो कि ब्राह्मण (जोशी)जाति से संबध रखती है। जबकि न्दी सम्वत 2033 से 2036 व 2036 से 2040 मे वादीगण की जाति डाकोत दर्ज है जो सही स प्रकार वादीगण मीना जाति के नही होकर डाकोत जाति के है। इसी प्रकार धनश्याम नाम कर दिया है। जबकि वादी का नाम गोपीलाल है समस्त रिकार्ड मे गोपीलाल दर्ज है। करण खोलते समय वादी न0 1 का नाम बोलता नाम घनश्याम के नाम से नामांतकरण कर जो हाल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया। जबकि वादी न0 1 का सही नाम गोपीलाल है। इस प्रकार रिकार्ड मे घनश्याम के स्थान पर गोपीलाल किया जावे।

बॉका दिनांक 13.12.2019 का है कि वादीगण तहसील कार्यालय मे जाति एव नाम ती करवाने के लिये तहसील कार्यालय मे गये, परन्तु तहसीलदार ने सक्षम न्यायालय मे दावा करने को कहा, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा ाई जावे कि आराजी ख0न0 188 रकवा 0.14 है0 ग्राम बैरोज मे हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

2020/00120

दीगण की जाति मे दुरूस्त कर मीना से स्थान पर डाकोत किया जावे एवं वादी न0 1 घनश्याम स्थान पर गोपीलाल दर्ज फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी रोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाव रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि वादपत्र मे वर्णित जमाबदी म्वत 2037–40 मे ख0न0 1226 रकवा 11 बिस्वा किस्म बारानी किशोरी पुत्र छाज्या जाति डाकोत रिकार्ड दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 1226 से नवीन ख0न0 88 बनाया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 मे ख0न0 188 रकवा 0.14 है0 धनश्याम, विष्णु, पुरूषोतम पुत्रान किशोरी जाति मीना रिकार्ड दर्ज है। जो नवीन जमाबन्दी बनाते समय जाति डाकोत के स्थान पर मीना दर्ज हो गई है। नामांतकरण संख्या 498 दिनांक 25.01.1983 द्वारा घनश्याम , विष्णु, पुरूषोतम पि0 किशोरी के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है। घनश्याम व गोपीलाल एक ही व्यक्ति है। इसलिये आराजी ख0न0 188 रकवा 0.14 है0 मे जाति मीना के स्थान पर डाकोत व घनश्याम के स्थान पर गोपीलाल किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम बैरोज की नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 61 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2033–36 के खाता संख्या 270 की नकल मिलान क्षेत्रफल नकल सम्वत 2043–62, राशन कार्ड न0 007626500342, आधार कार्ड 215462003375, भामाशाह कार्ड स. वी.के.पी.सी.के.सी.एन. की फोटो प्रतिया तथा स्वंय गोपीलाल का शपथ पत्र एवं गवाह विष्णु का शपथ पत्र पेश किये है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दावा डिकी करने का कथन किया। परौकार सरकार ने अपनी ओर से प्रस्तुत जबाब रिपोर्ट के अनुसार कथन किया कि वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र बावत नाम व जाति दुरूस्त किये जाने योग्य है। दावा डिकी किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी की और से प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम पदमपुरा सम्वत 2033–36 के खाता संख्या 270 मे ख0न0 1226 रकवा 11 बिस्वा की खातेदारी मोठया, जोहरया, किशोरी, पुत्रान छाज्या जाति डाकोत निवासी ग्राम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार ख0न0 1226 रकवा 11 बिस्वा से नवीन ख0न0 188 रकवा 0.14 है0 कायम हुये है। ग्राम पदमपुरा मे से नवीन ग्राम बैरोज बनने के पश्चात नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे खसरा नम्बर 188 रकवा 0.14 है0 मे खातेदारी कजोडी पुत्र भौरया हिस्सा 1/4 , घनश्याम पुत्र किशोरी हिस्सा 1/6, पुरूषोतम पुत्र किशोरी हिस्सा 1/6, भरोसी पुत्र भोरया हिस्सा 1/4, विष्णु पुत्र किशोरी हिस्सा 1/6 जाति मीना निवासी सा.ग्राम खातेदार दर्ज है। इस प्रकार साबिक रिकार्ड से नवीन रिकार्ड तैयार करते समय जाति डाकोत के स्थान पर जाति मीना दर्ज हो गया है तथा पैरोकार सरकार ने भी जाति मीना के स्थान पर डाकोत किये जाने की अभिशंषा करने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। पैरोकार सरकार ने अपने जबाब एवं फर्द मौका मे घनश्याम व गोपीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है तथा घनश्याम के स्थान पर गोपीलाल नाम दर्ज करने की अभिशंषा की है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड न0 007626500342, आधार कार्ड 215462003375, भामाशाह कार्ड स. वी.के. पी.सी.के.सी.एन. मे भी गोपीलाल पुत्र किशोरी लाल दर्ज है। उक्त दस्तावेजो एवं पैरोकार सरकार के जबाब एवं बहस मे किये गये कथनानुसार घनश्याम के स्थान पर गोपीलाल किया जाना उचित है।

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दरूस्ती) स्वीकार योग्य होने से ग्राम बैरोज की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे जाति मीना के स्थान पर जाति डाकौत तथा घनश्याम पुत्र किशोरी के स्थान पर गोपीलाल पुत्र किशोरी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे, पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली